W/R

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/1371/2009/दौसा

1— मु0 राधा बैवा रामकिशोर (फौत) जरिये विधिक वारिस :—
1/1 जगदीश पुत्र रामकिशोर जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी लालपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।

.....अपीलार्थी

बनाम

1— मूलचन्द पुत्र बंशी जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी लालपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।
2— गौरीलाल पुत्र मूलचन्द जाति मीणा निवासी बिहारीपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड—पीठ
श्री चन्द्रमोहन मीना, अध्यक्ष
श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

उपस्थित :
श्री उमेश गौड, अभिभाषक अपीलार्थी।
श्री वी.पी.नागर, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण।

निर्णय

दिनांकः— 24—01—2014

1— हस्तगत द्वितीय अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैंप दौसा (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा अपील संख्या 36/05 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16—01—2009 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1955') की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2— अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं किः—

(1) अपीलार्थी/वादिनी श्रीमती राधा ने अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा व स्थाई निषधाज्ञा का दावा न्यायालय, उपखंड अधिकारी, लालसोट (विचारण न्यायालय) में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लालपुरा तहसील लालसोट स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 89 रकबा 2 बीधा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 91 रकबा 4 बीधा 18 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 7 बीधा 11 बिस्वा मृतक खातेदार भौरीलाल पुत्र हबला जाति हरियाणा ब्राहमण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि थी। भौंरीलाल के पिता हबला का एक भाई मुरली था, और उक्त मुरली के पुत्र बंशी के दो पुत्र थे– मूलचंद प्रत्यर्थी संख्या एक और अपीलार्थी/ वादिनी का पति स्व. रामकिशोर। मृतक खातेदार भौरीलाल के पत्नि व संतान नहीं होने के कारण वादिनी के पति स्व. रामकिशोर को उसने पुत्रवत गोद लेकर अपने पास वाद प्रस्तुत होने से करीब 40 वर्ष पूर्व रख लिया था, परन्तु उसके दो वर्ष पश्चात ही भौंरीलाल के जीवन काल में ही उक्त रामकिशोर की मृत्यु हो गई। अपीलार्थिया/वादिनी अपने पति की मृत्यु के पश्चात खातेदार स्व. भौंरीलाल की पुत्रवधु के रूप में उसके साथ ही रही और वादग्रस्त भूमि की देखभाल व काश्त करती रही तथा भौंरीलाल की वृद्धावस्था में उसकी सेवा सुश्रुषा की और उसके कर्जो का चुकारा किया। भौंरीलाल की मृत्यु होने के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या–1 मूलचन्द ने अपने आपको स्व. भौंरीलाल का उत्तराधिकारी बताकर वादग्रस्त भूमि से अपीलार्थिया/ वादिनी को बलपूर्वक निष्कासित करने का प्रयास अपने पुत्र प्रत्यर्थी संख्या–2 गौरीलाल के सहयोग से किया। अतः वादिनी श्रीमती राधा ने अपने आपको वादग्रस्त भूमि की खातेदार घोषित कराने व प्रत्यर्थीगण/ प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद और साथ में धारा 212 अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया।

(2) विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/ वादिनी के प्रार्थनापत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार करके दिनांक 16–10–1990 को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई।

(3) प्रत्यर्थीगण/ प्रतिवादीगण द्वारा उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा की अवहेलना करने पर अपीलार्थी/ वादिनी द्वारा रिसीवर नियुक्ति हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकार करके विचारण न्यायालय ने दिनांक 30–11–1991 को वादग्रस्त भूमि को कुर्क करके रिसीवर के कब्जे में दिया। प्रत्यर्थी संख्या–1 मूलचन्द

द्वारा उक्त आदेश दिनांक 30–11–1991 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की, जो अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30–04–1992 को खारिज कर दी गई। अपीलीय न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 30–04–1992 की निगरानी प्रत्यर्थी द्वारा राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई जो मण्डल द्वारा दिनांक 29–03–1992 को खारिज की गई। अतः में वादग्रस्त भूमि रिसीवर के कब्जे में रही।

(4) विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों की साक्ष्य व सुनवाई के बाद अपने निर्णय दिनांक 30–08–1993 से अपीलार्थी/वादिनी का वाद खारिज कर दिया।

(5) विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 30–08–1993 के विरूद्ध अपीलार्थी/ वादिनी द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जो स्वीकार की जाकर प्रकरण को निर्देशों के साथ वापिस विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया।

(6) प्रकरण प्रतिप्रेषित होकर प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 26–06–2005 द्वारा अपीलार्थी/ वादिनी का दावा स्वीकार करके डिक्री कर दिया और उक्त डिक्री की अनुपालना में रिसीवर ने वादग्रस्त भूमि का कब्जा अपीलार्थी/ वादिनी को संभला दिया।

(7) प्रत्यर्थी संख्या–1 मूलचन्द ने विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 26–06–2005 के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय दिनांक 16–01–2009 द्वारा प्रत्यर्थी मूलचन्द द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 26–06–2005 अपास्त कर दिया।

(8) प्रथम अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय दिनांक 16–01–2009 से व्यथित होकर अपीलार्थी/ वादिनी द्वारा हस्तगत द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत कर प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 16–01–2009 को निरस्त करने व विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 26–06–2005 को बहाल रखने का निवेदन किया गया है।

4– उभय पक्ष की बहस दिनांक 24–12–2013 को सर्किट बैंच कैम्प जयपुर में सुनी गई।

5— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक श्री वी. पी. नागर द्वारा प्रत्यर्थी संख्या—1 मूलचन्द की तरफ से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 9 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की और निवेदन किया कि अपीलार्थी/ वादिनी श्रीमती राधा द्वारा हस्तगत द्वितीय अपील प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 16—01—2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी/ वादिनी के निधन के बाद उसके पुत्र जगदीश का नाम बतौर अपीलार्थी प्रतिस्थापित किया गया है। अपीलार्थी जगदीश ने दिनांक 10—09—2013 को एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या—2 गौरीलाल की मृत्यु हो गई, इसलिये प्रत्यर्थी संख्या—2 गौरीलाल का नाम तर्क (delete) कर दिया जावे। उक्त प्रार्थनापत्र के आधार पर दिनांक 08—10—2013 को हस्तगत अपील में से गौरीलाल प्रत्यर्थी—2 का नाम हटाने का आदेश न्यायालय द्वारा दे दिया गया है। विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि हस्तगत अपील से नाम हटा करा कर अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या—2 गौरीलाल के विरूद्ध अपील ही खारिज करा ली है। इसलिये उसके विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16—01—2009 अन्तिम हो चुकी है तथा डिक्री अंतिम हो जाने की स्थिति में दूसरा निर्णय कानूनन नहीं किया जा सकता है। अगर एक पक्षकार के विरूद्ध भी डिक्री अंतिम हो जाती है तो उसके विरूद्ध कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। दावे के तथ्यों पर विचार करने से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या—2 गौरीलाल या उसके वारिसान हस्तगत अपील में आवश्यक पक्षकार हैं और इस अपील में गौरीलाल या उसके वारिसान को पक्षकार न बनाने की स्थिति में यह अपील चलने योग्य नहीं है और निरस्तनीय है। सुस्थापित सिद्वांत है कि वह व्यक्ति जो मूल वाद में या प्रथम अपील में पक्षकार है, वह द्वितीय अपील में भी आवश्यक पक्षकार है और यदि उसे किसी भी कारण से या भूलवश पक्षकार नहीं बनाया तो केवल इसी आधार पर अपील निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त— 1992 RRD 608, 1987 RRD 580, 1985 RRD 303, 1970 RRD 330, 1969 RRD 192 और 1960 RRD 38 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय अंतिम हो जाने से आपत्ति प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुये हस्तगत अपील को खारिज किया जावे।

6— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी की प्राथमिक आपत्ति का पुरजोर विरोध करते हुये अभिकथन किया कि वादिनी का घोषणात्मक दावा केवल मूलचन्द प्रतिवादी संख्या—1 के विरुद्ध था।

प्रतिवादी संख्या–2 गौरीलाल के विरुद्ध वादिनी को अधिकार घोषणा बाबत कोई अनुतोष नहीं चाहिये। प्रतिवादी संख्या–2 गौरीलाल अपने पिता प्रतिवादी संख्या–1 मूलचन्द के साथ मिल कर वादिनी के कब्जे काश्त में दखल देता था, इस कारण उसे वाद में पक्षकार बना कर स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया था। अब चूंकि उक्त गौरीलाल का निधन हो गया है, अतः उसके विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष की भी आवश्यकता नहीं है, अतः उसका नाम द्वितीय अपील के स्तर पर तर्क करा दिया गया है। इससे प्रतिवादी संख्या–1 मूलचन्द के विरुद्ध वादिनी के वाद वास्ते घोषणात्मक व स्थायी निषेधाज्ञा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि वादिनी के पक्ष में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय में केवल प्रतिवादी संख्या–1 मूलचन्द ने अकेले ही अपील की थी और प्रतिवादी संख्या–2 गौरीलाल का वादग्रस्त भूमि में कोई हित नहीं होने से उसने अपील भी नहीं की थी। इसलिये अब वह द्वितीय अपील के स्तर पर गौरीलाल आवश्यक पक्षकार नहीं है और उसके बिना भी वादिनी/ अपीलार्थी की वर्तमान द्वितीय अपील चल सकती है। ऐसे पक्षकार को संयोजित नहीं करने से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 9 के प्रावधानानुसार अपील को खारिज नहीं किया जा सकता है।

7– अपील के गुणावगुण पर बहस करते हुये विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी/ वादिनी का अभिकथन है किः–

(1) कि प्रकरण अपीलीय न्यायालय से प्रतिप्रेषित होकर प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का पूर्ण विश्लेषण एवं विवेचन करते हुये प्रत्येक विवाद्यक पर निर्णय पारित किया था, किन्तु अपीलीय न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य की त्रुटिपूर्ण व्याख्या करके विधि विरुद्ध व साक्ष्य के प्रतिकूल (perverse) निर्णय पारित किया है, जो निस्तनीय है। वादिनी द्वारा कुल 62 दस्तावेजात प्रदर्श–1 से प्रदर्श–62 तक विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किये थे, और प्रत्यर्थी संख्या–1 / प्रतिवादी द्वारा उनके विखण्डन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी थी, किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायलय द्वारा साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बिना विचारण न्यायालय के विधि संगत निर्णय को उलट दिया है। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है।

(2) कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का आलोच्य निर्णय इस निष्कर्ष पर आधारित है कि वादिनी अपने पति स्व. किशोरीलाल को

भौंरीलाल का दत्तक पुत्र साबित करने में असफल रही है। किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है।

(3) कि बंशी भौंरीलाल के भाई मुरली का पुत्र अर्थात भतीजा था तथा बंशी के दो पुत्र मूलचन्द व रामकिशोर थे। रामकिशोर भौंरीलाल के गोद चला गया था। बंशी की भूमि का नामान्तरकरण अकेले मूलचन्द प्रत्यर्थी के नाम दर्ज होना इस बात का प्रमाण है कि रामकिशोर भौंरीलाल के गोद चला गया था, अन्यथा बंशी की भूमि में रामकिशोर का भी हिस्सा उसका पुत्र होने के कारण होता। अतः गोद के बिन्दु पर प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय साक्ष्य के विपरीत है।

(4) कि प्रत्यर्थी संख्या–1 मूलचन्द अपने पिता बंशी की भूमि का एकल खातेदार तो है ही, उसने स्व. भौंरीलाल की भूमि को भी हडपने के लिये अपने पक्ष में आलोच्य निर्णय पक्षपातपूर्ण करवाया है। प्रत्यर्थी मूलचन्द अपने पिता की आराजी व चाचा की आराजी दोनों पर ही अपना अधिकार बताता है।

(5) कि अपीलीय न्यायालय द्वारा सजरे में जगदीश पुत्र रामकिशोर का नाम नहीं होने के बिन्दु को अनावश्यक महत्व दिया है जबकि हस्तगत प्रकरण के निर्णय हेतु इस बिन्दु का कोई सारभूत महत्व नहीं है।

(6) कि अपीलार्थी/ वादिनी राधा द्वारा भौंरीलाल की विवादग्रस्त आराजी का लगान भरा जाता रहा है और भौंरीलाल के कर्जे भी वादिनी द्वारा चुकाये गये हैं, जिनकी रसीदें भी प्रस्तुत की गई है और ग्रामवासियों के समक्ष लिखी गई लिखावट से भी वादिनी का मृतक भौंरीलाल के पास, पुत्र–बधु के रुप में रहना साबित है, किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इन सभी साक्ष्यों को अवैध रुप से नकार दिया गया है। अतः आलोच्य निर्णय त्रुटिपूर्ण है।

(7) कि प्रत्यर्थी–1/ **प्रतिवादी का कोई प्रतिदावा (counter claim) नहीं** होते हुये भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में निर्णय पारित किया गया है जो निरस्तनीय है।

(8) कि एक तरफ राजस्व अपील प्राधिकारी मानते हैं कि गोद का बिन्दु निहित होने के कारण दावा राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं था। किन्तु इस मत के बावजूद राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अन्य विवाद्यकों का निर्णय गुणावगुण पर कर दिया है। इस प्रकार आलोच्य निर्णय विरोधाभासी होने से भी निरस्तनीय है। वैसे भी वादिनी का दावा अपने पति को

भौंरीलाल का गोदपुत्र घोषित कराने का नहीं होकर कृषि–भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का था, जो अधिनियम, 1955 की तीसरी अनुसूची कर प्रविष्टि संख्या– 3 अनुसार राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का ही है। विद्वान अभिभाषक का वैकल्पिक तर्क यह भी है कि किसी विवाद्यक विशेष को निर्णीत करने के क्षेत्राधिकार के अभाव में दावा खारिज नहीं किया जा सकता है अपितु अधिनियम, 1955 की धारा 239 के अनुसार उसे सिविल न्यायालय को हस्तान्तरित किया जा सकता है। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने समर्थन में 2011 (1) RRT 188 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त तर्कों के आधार पर विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी/ वादिनी राधा मृतक रामकिशोर की पत्नि होने के आधार पर उसकी प्राकृतिक उत्ताराधिकारी है तथा रामकिशोर भौंरीलाल का गोदपुत्र होने से वादिनी उक्त भौंरीलाल की पुत्रवधु है, किन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों व साक्ष्य को नजरअन्दाज करते हुये विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत जाकर अपील को स्वीकार किया है, अतः हस्तगत द्वितीय अपील को स्वीकार करके अपीलीय न्यायालय का आलोच्य निर्णय दिनांक 16–01–2009 निरस्त किया जावे।

8– उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अभिकथन किया किः–

(1) कि पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य से यह साबित है कि अपीलार्थी/ वादिनी राधा का पति रामकिशोर भौंरीलाल के दत्तक पुत्र नहीं था, अपितु वह पांच्या के गोद चला गया था, किन्तु उसकी मृत्यु पांच्या के पहले हो जाने से उक्त पांच्या के निधन पर नामान्तरकरण रामकिशोर के पुत्र जगदीश के नाम स्वीकृत हुआ था। पांच्या के चचेरे भाई काल्या की भूमि का नामान्तरकरण भी जगदीश पुत्र रामकिशोर के नाम ही हुआ है और वादिनी अपने पुत्र जगदीश के साथ पांच्या व काल्या की भूमि पर काश्त कर रहीं है। किन्तु अब वादिनी अपने पति को भौंरीलाल का गोद पुत्र बता कर उसकी भूमि भी हड़पना चाहती है जबकि प्रत्यर्थी संख्या–1 मूलचन्द उक्त मुतक भौंरीलाल का भतीजा होने के कारण उसका प्राकृतिक वारिस है और वादग्रस्त भूमि का विधिक हकदार है।

(2) कि अपीलार्थी/ वादिनी ने न तो कोई पंजीकृत गोदनामा या ऐसी कोई लिखावट पेश की है जिससे यह सिद्व हो कि मृतक भौंरीलाल ने रामकिशोर को गोद लिया हो और ना ऐसा कोई स्कूल प्रमाण पत्र या कोई प्रलेख पेश किया है जिसमें रामकिशोर का पिता भौंरीलाल लिखा हो।

(3) कि उपखण्ड अधिकारी को कानूनन यह दावा सुनने का अधिकार ही नहीं था क्योंकि यह दावा मात्र खातेदारी की घोषणा का नहीं है। अपीलार्थी/ वादिनी के वाद का मुख्य आधार गोद का तथ्य है, इस कारण हस्तगत प्रकरण में गोद को साबित करना मुख्य वाद–बिन्दु है। अतः वादिनी अगर गोद के आधार पर वादग्रस्त भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाहती है तो उसे अपने पति रामकिशोर को मृतक खातेदार भौंरीलाल का गोदपुत्र घोषित कराना होगा और इस प्रकार की घोषणा का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है अपितु इस बिन्दु को निर्णीत करवाने हेतु वादिनी को सिविल न्यायालय में जाना चाहिये। दत्तक पुत्र की घोषणा करवाये जाने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को ही है।

(4) कि भौंरीलाल लाऔलाद फौत हुआ था और उसका भतीजा होने के कारण प्रत्यर्थी मूलचन्द उसका प्राकृतिक उत्तराधिकारी है। भौंरीलाल की मृत्यु के पश्चात मूलचन्द ने ही उसके क्रियाकर्म द्वादशा आदि समस्त धार्मिक एवं सामाजिक क्रियाकर्म किये है तथा भौंरीलाल की पगडी भी मूलचन्द के बंधी है। वादग्रस्त आराजी पर भी कब्जा–काश्त भी मूलचन्द प्रत्यर्थी का है। इसलिये भौंरीलाल की खातेदारी भूमि का मूलचंद प्रत्यर्थी ही विधिक अधिकारी है।

उपरोक्त तर्कों के आधार पर विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी का कथन है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों एवं साक्ष्य की विवेचना करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जावे।

9– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध निर्णयों व अभिलेखीय

तथा मौखिक साक्ष्य के साथ प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।

10— सर्व प्रथम हम इस बिन्दु पर विचार करना उचित समझते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या—2 गौरीलाल की मृत्यु के बाद वर्तमान अपील में से उसका नाम तर्क (delete) कर दिये जाने का अपील की पोषणीयता पर क्या प्रभाव है? यह सही है कि अपीलार्थी/वादिनी द्वारा अपने घोषणात्मक वाद में मूलचन्द व उसके पुत्र गौरीलाल को प्रतिवादीगण बनाया गया था। दावा यह था कि प्रतिवादी संख्या—1 मूलचन्द का वादग्रस्त भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं होते हुये भी वह वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम खुलवाना चाहता है और वादिनी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करता है। साथ में उसका पुत्र गौरीलाल प्रतिवादी संख्या—2 भी अपने पिता के साथ मिल कर वादिनी को बेदखल करने की धमकियां दे रहा है। अनुतोष यह चाहा गया था कि घोषणा की जावे कि वादिनी वादग्रस्त भूमि की खातेदार काश्तकार है और प्रतिवादी संख्या—1 मूलचन्द का वादग्रस्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। साथ में यह अनुतोष चाहा गया था कि दोनों प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे वादिनी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें। वादिनी का दावा डिक्री किया गया, जिसके विरुद्ध केवल प्रतिवादी संख्या—1 मूलचन्द द्वारा प्रथम अपील की गयी। प्रतिवादी संख्या—2 गौरीलाल द्वारा कोई अपील नहीं की गयी, जिससे उसे बतौर प्रत्यर्थी उक्त प्रथम अपील में औपचारित पक्षकार बनाया गया। वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या—1 मूलचन्द की प्रथम अपील स्वीकार हो कर वादिनी के पक्ष में जारी की गयी डिक्री अपास्त की गयी है, जिसके विरुद्ध वर्तमान द्वितीय अपील वादिनी द्वारा प्रस्तुत की गयी है। इस तथ्यात्मक विवरण से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के हक व खातेदारी को लेकर मुख्य विवाद अपीलार्थी/वादिनी श्रीमती राधा और प्रत्यर्थी संख्या—1 मूलचन्द के बीच ही है। गौरीलाल प्रत्यर्थी संख्या—2 के विरुद्ध वादिनी की पीड़ा केवल यह थी कि वह भी अपने पिता के साथ मिल कर वादिनी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करता है। इस कारण उसके विरुद्ध वादिनी ने केवल स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा था। अब वादिनी ने अपनी द्वितीय अपील से उक्त गौरीलाल का नाम, गौरीलाल की मृत्यु हो जाने से, हटा दिया है। इसका तात्पर्य है कि अब अपीलार्थी/ वादिनी को उक्त गौरीलाल अथवा उसके वारिसान से कब्जा—काश्त में दखल की कोई धमकी नहीं रह गयी है। जब वर्तमान में अपीलार्थी/ वादिनी उक्त मृतक गौरीलाल के वारिसान के विरुद्ध कोई अनुतोष ही नहीं चाहती है तो उसे उसकी इच्छा के

विरुद्ध मृतक गौरीलाल के वारिसान के विरुद्ध वाद लड़ने के लिये विवश नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा बेदखली की धमकी व्यक्तिगत होती है। जिस व्यक्ति से बेदखली की धमकी होती है, आवश्यक नहीं है कि उसके वारिसान से भी बेदखली की धमकी हो। उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी/ प्रतिवादी मूलचन्द की तरफ से प्रार्थनापत्र सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 9 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, जो निम्न प्रकार हैः–

> *"9. **Misjoinder and nonjoinder:***
> *No suit shall be defeated by reason of the misjoinder or nonjoinder of parties, and the Court may in every suit deal with the matter in controversy so far as regards the rights and interests of the parties actually before it:*
>
> *Provided that nothing in this rule shall apply to non-joinder of a necessary party."*

उपरोक्त नियम 9 में यह प्रावधान है कि पक्षकारान के त्रुटिपूर्ण संयोजन अथवा असंयोजन के कारण दावा खारिज नहीं होगा, अपवाद यह है कि इस प्रकार असंयोजित व्यक्ति ''आवश्यक पक्षकार'' नहीं होना चाहिये। आवश्यक पक्षकार वह होता है जिसके अभाव में दावा या अपील चल ही नहीं सकता हो। हस्तगत प्रकरण में हमारा मत है कि मृतक गौरीलाल ऐसा आवश्यक पक्षकार नहीं था, जिसके अभाव में प्रत्यर्थी संख्या–1/ प्रतिवादी मूलचन्द के विरुद्ध अपीलार्थी/ वादिनी का दावा वास्ते घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा नहीं चल सकता हो। अगर गौरीलाल को मूल वाद में भी प्रतिवादी नहीं बनाया जाता तो भी मूलचन्द के विरुद्ध तो दावा चल ही सकता था। इस बिन्दु पर प्रत्यर्थी पक्ष द्वारा जो न्याय दृष्टान्त– 1992 RRD 608, 1987 RRD 580, 1985 RRD 303, 1970 RRD 330, 1969 RRD 192 और 1960 RRD 38 प्रस्तुत किये हैं वे तथ्यों व परिस्थतियों की भिन्नता के कारण वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। परिणामतः प्रत्यर्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 9 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के माध्यम से उठायी आपत्ति को अस्वीकार करते हुये उक्त प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

9– हस्तगत प्रकरण में एक महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि **गोद का बिन्दु निहित होने से क्या वर्तमान दावा राजस्व न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है?** प्रतिवादी/ प्रत्यर्थी पक्ष द्वारा उठायी गयी आपत्ति के आधार पर इस बिन्दु पर विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या–11 बनाया गया था, जिसका निर्णय विचारण न्यायालय ने इस प्रकार

किया है कि दावा खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का है जिसका क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है। इसके विपरीत प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इस बिन्दु को इस प्रकार निर्णीत किया गया है कि वादिनी यदि भौंरीलाल के दत्तक पुत्र की उद्घोषणा अपने पति रामकिशोर के पक्ष में कराना चाहती है तो उसे इस बिन्दु को निर्णीत कराने हेतु उसे सिविल न्यायालय में जाना पड़ेगा। इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी यह निर्णय नहीं किया गया है कि हस्तगत वाद को, जो कि अधिकार घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का है, सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है अपितु यह निर्णय किया है कि – "**जहां तक दत्तक पुत्र की घोषणा कराये जाने का प्रश्न है तो क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है।**" विधि की यह सुस्थापित स्थिति है कि राजस्व न्यायालय अथवा सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण वाद पत्र के सारभूत अभिवचनों और चाहे गये मुख्य अनुतोष से किया जाता है। **न्यायालय द्वारा किसी भी वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार तय करते समय यह देखना होता है कि वाद में चाहा गया मुख्य अनुतोष न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है अथवा नहीं?** हस्तगत प्रकरण में वादिनी का दावा अपने पति रामकिशोर को मृतक भौंरीलाल का दत्तक पुत्र घोषित कराने का नहीं था। उसका दावा यह था कि मृतक भौंरीलाल के दत्तक पुत्र की पत्नी होने के कारण वह उक्त भौंरीलाल की वादग्रस्त भूमि की हकदार व खातेदार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 207 में राजस्व न्यायालयों द्वारा विचारणीय प्रकरणों बाबत विधिक प्रावधान हैं, जो निम्न प्रकार हैः–

> ***"207. Suits and applications Cognizable by revenue courts only**.- (1) All suits and applications of the nature specified in the Third Schedule shall be heard and decided by a revenue court.*
>
> *(2) No court other than a revenue court shall take cognizance of any such suit or application or of any suit or application based on a cause of action in respect of which any relief could be obtained by means of any such suits or applications.*
>
> ***Explanation-** If the cause of action is one in respect of which relief might be granted by the revenue court, it is immaterial that the relief asked for from the civil court is greater than, or additional to, or is not identical with, that which the revenue court could have granted."*

इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिनियम, 1955 की तृतीय अनुसूची में सम्मिलित सभी वाद / प्रार्थनापत्र राजस्व न्यायालय द्वारा ही विचारणीय

होते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत खातेदारी घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा का दावा उक्त तृतीय अनुसूची–3 की प्रविष्टि क्रमांक 5 एवं 23ग अनुसार राजस्व न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है। अतः हस्तगत प्रकरण में भी अपीलार्थी/ वादिनी का दावा खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का होने से राजस्व न्यायालय द्वारा ही विचारणीय है। इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता है कि खातेदारी घोषणा किस आधार पर चाही जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष जसवन्तसिंह एवं अन्य बनाम राजस्व मण्डल के प्रकरण– (1984 RRD 851 = 1984 WLN 608) में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह था कि प्रतिपक्षी के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र होने से उक्त दस्तावेज को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बिना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिकार घोषणा का दावा राजस्व न्यायालय में चल सकता है अथवा नहीं? उच्च न्यायालय की माननीय खण्ड पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 22–03–1984 में 1977 RLW 143, 1977 RLW 131, AIR 1966 SC 1718, AIR 1948 PC 78, AIR 1969 Allahabad 526, ILR 35 Calcutta 551, AIR 1954 Raj 170, 1971 WLN 674, 1973 RLW 674, 1963 RLW 323, AIR 1982 Raj 91 आदि में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्तों पर चर्चा करने के बाद यह प्रतिपादित किया गया है कि जब वादी द्वारा मुख्य अनुतोष खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं निषेधाज्ञा हेतु चाहा गया है तो ऐसा पंजीकृत दस्तावेज उसके दावे के रास्ते में नहीं आ सकता है जिसमें वादी पक्षकार नहीं है। जब वादी पंजीकृत विक्रयपत्र से पाबन्द नहीं है तो उसके लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह विक्रयपत्र को निरस्त कराने का दावा लाये। उक्त 1984 RRD 851=1984 RLW 608 का अनुच्छेद 20 उदधृत करना यहां उचित रहेगा, जो कि निम्न प्रकार है:–

> *"Thus upon a consideration of the several cases of this Court on the point, it clearly emerges that if the suit was filed by the plaintiff for possession treating the deed as wholly void or a nullity, then a prayer for cancellation of the deed was unnecessary and was not required to be made by the plaintiff, who could ignore the void document. In such cases there was no unsurmountable difficulty in the way of the plaintiff in seeking relief by way of declaration of tenancy rights and claiming possession before a competent revenue court."*

इसी प्रकार सुखलाल एवं अन्य बनाम देवीलाल एवं अन्य के प्रकरण– AIR 1954 Raj 170 में दस्तावेज को निरस्त कराने के दावे (suit for cancellation of a document) और घोषणात्मक दावे (suit for declaration) में अन्तर को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है किः–

> *"There is a difference between a suit for the cancellation of an instrument and one for a declaration that the instrument is not binding on the plaintiff, when the plaintiff seeks to establish, a title in himself and cannot establish that title without removing an insuperable obstacle such as a decree or a deed to which he has been a party or by which he is otherwise bound then quite clearly he must get that decree or deed cancelled or declared void in toto and his suit is in substance a suit for the cancellation of the decree or deed notwithstanding the fact that the suit may have been framed as a suit for a declaration. On the other hand, when the plaintiff is seeking to establish a title and finds himself threatened by a decree or a transaction between third parties, he is not in a position to get that decree or deed cancelled in toto. The proper remedy in such a case is to get a declaration that the decree or deed is invalid so far as he himself is concerned, and, therefore, he may sue for a declaration to that effect and not for the cancellation of the decree or the deed." (para 6)*

राजस्व मण्डल द्वारा दुर्गालाल बनाम बाबा परमहंस जोगश्वर महादेव का मन्दिर के प्रकरण– 1985 RRD 274 में यह अभिनिर्धारित किया गया है किः–

> *"... the main relief being asked for in the plaint i.e. declaration of khatedari rights and permanent injunction against the defendants-applicants can be granted without cancellation of the gift deed …."*

10– उपरोक्त अनुच्छेद 9 में उद्धृत सभी न्यायिक दृष्टान्त निस्सन्देह पंजीकृत विक्रय पत्र के होते हुये घोषणात्मक वाद को राजस्व न्यायालय द्वारा विचारण करने बाबत है और प्रत्यक्षतः गोद का बिन्दु इनमें निहित नहीं है तथापि इनमें जो निर्णयाधार *(ratio decidendi)* प्रतिपादित किया गया है, उसका सारांश यह है कि वादपत्र के अभिचवन व चाही गयी अनुतोष के आधार पर ही न्यायालय का क्षेत्राधिकार निर्धारित होता है। कृषि भूमि में खातेदारी घोषणा का वाद किसी भी आधार पर आधारित हो सकता है, यथा– आवंटन,

विरासत, पंजीकृत क्रय–पत्र, वसीयत, दान–पत्र आदि। विरासत प्राकृतिक भी हो सकती है और दत्तक के आधार पर भी हो सकती है। वादी जिस भी आधार पर घोषणा का दावा लाता है, वह आधार वादी को समुचित साक्ष्य से साबित करना होता है। अगर वादी अपने दावे का आधार सिद्ध कर पाता है तो दावा सफल होता है अन्यथा दावा खारिज हो जाता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त– 2006 RRD 630 में भी यही प्रतिपादित किया है किः– " ..... the adoption being incidental issue, the Revenue Court has the jurisdiction to hear the matter of partition." हस्तगत प्रकरण में भी अपीलार्थी/ वादिनी का खातेदारी घोषणा का दावा इस आधार पर है कि उसका पति स्व. रामकिशोर मृतक खातेदार भौंरीलाल का दत्तक पुत्र था। अगर वादिनी इस तथ्य को समुचित साक्ष्य से साबित कर पाती है कि उसका पति स्व. रामकिशोर मृतक खातेदार भौंरीलाल का दत्तक पुत्र था तो दावा सफल होगा और अगर यह तथ्य साबित नहीं होता है तो दावा असफल होगा। किन्तु इस आधार पर दावे के विचारण से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि दावा दत्तक के आधार पर लाया गया है। चूंकि दावा धारा 88 व 188 अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत वास्ते घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का है अतः इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि उक्त अधिनियम, 1955 की अनुसूची–3 की प्रविष्टि क्रमांक 5 एवं 23ग अनुसार राजस्व न्यायालय द्वारा ही विचारणीय है।

11– उपरोक्त विवेचन के बाद हस्तगत प्रकरण में विनिश्चयन हेतु मुख्य बिन्दु (main issue for determination) यह रह जाता है कि **क्या अपीलार्थी/वादिनी श्रीमती राधा विचारणीय न्यायालय में अपने पति स्व. रामकिशोर को मृतक खातेदार स्व. भौंरीलाल का दत्तक पुत्र साबित कर पायी है?**

12– प्रकरण में मुख्य विवाद मृतक खातेदार भौंरीलाल की खाते की भूमि के उत्तराधिकार का है। अपीलार्थी/ वादिनी मृतक भौंरीलाल के दत्तक पुत्र रामकिशोर की पत्नी के रुप में अपने दत्तक ससुर की भूमि का घोषणात्मक दावा लेकर आई है जबकि प्रत्यर्थी/ प्रतिवादी पक्ष का कथन है कि मृतक खातेदार स्व. भौंरीलाल ने वादिनी के पति रामकिशोर को कभी भी गोद नहीं लिया था, अपितु उक्त रामकिशोर तो पांच्या नामक व्यक्ति के गोद चला गया था। मृतक खातेदार भौंरीलाल ने किसी को भी गोद नहीं लिया था और प्रत्यर्थी–1 मूलचन्द उक्त भौंरीलाल का भतीजा (भाई का लड़का) होने से उसका प्राकृतिक उत्तराधिकारी व वादग्रस्त भूमि का विधिक खातेदार है। अतः वादिनी

को यह सिद्ध करना था कि उसका पति वाद दायरी के लगभग 40 साल अर्थात सन् 1990 से 40 साल पहले सन् 1950 में हिन्दु रीति रिवाज से भौंरीलाल के गोद गया था। विचारण न्यायालय द्वारा वादिनी के पति स्व. रामकिशोर को स्व. भौंरीलाल का दत्तक पुत्र मान कर दावा बहक वादिनी डिक्री किया है। विचारण न्यायालय द्वारा परिवार राशनकार्ड़ प्रदर्श–5 में वादिनी का नाम भौंरीलाल की पुत्रवधु के रुप में अंकित होने से, निर्वाचक नामावली प्रदर्श–11 में वादिनी का नाम भौंरीलाल के परिवार के साथ दर्ज होने से, तथा भौंरीलाल का कर्जा वादिनी द्वारा चुकाने की रसीदों– प्रदर्श–13 से 17 व प्रदर्श–19 के आधार पर, रुपये 5/– के स्टाम्प पर लिखावट दिनांक 30–01–1990 प्रदर्श–18 आदि के आधार पर वादिनी को भौंरीलाल के दत्तक पुत्र रामकिशोर की विधवा माना है। इस बिन्दु पर हमने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य व प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया। रामकिशोर के पुत्र जगदीश ने अपने बयान दिनांक 07–11–2000 में स्वयं को 55 साल का माना है। अर्थात उसका जन्म 1945 के लगभग हुआ है। इसका अर्थ है कि 1950 में जब रामकिशोर भौंरीलाल के गोद गया उक्त रामकिशोर के लगभग 5 साल का पुत्र जगदीश था। इसका तात्पर्य है कि वह कथित गोद के समय 1950 में बालिग व शादीसुदा था। विचारणीय यह है कि क्या शादीसुदा और बालिग अर्थात 18 साल की उम्र से अधिक का व्यक्ति गोद जा सकता है या नहीं? हिन्दु दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के प्रावधानानुसार 15 साल से अधिक उम्र के बालक को गोद नहीं लिया जा सकता है। यह सही है कि 1950 की कथित गोद के समय 1956 का हिन्दु दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम प्रभाव में नहीं था, किन्तु हमारा मत है कि हिन्दु समाज की सामाजिक–धार्मिक प्रथाओं को विधिक रुप देने व विनियमित करने के लिये 1956 में बनायी गयी विभिन्न हिन्दु विधियां – यथा हिन्दु विवाह अधिनियम, 1956, हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, हिन्दु दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 आदि सारभूत रुप से कोई नवीन कानून नहीं हो कर हिन्दु समाज में पूर्व में ही प्रचलित सामाजिक–धार्मिक प्रथाओं का संहिताकरण (codification) था, जिनमें आंशिक परिर्वतन या सुधार के साथ उन सभी धार्मिक–सामाजिक रीति–रिवाजों/ प्रथाओं को विधिक रुप दिया गया था, जो कि सदियों से हिन्दु समाज में प्रचलित थी। अतः जब तक वादिनी अन्यथा ठोस साक्ष्य से साबित नहीं कर दे, तब तक यही माना जावेगा कि 1950 में उसके पति रामकिशोर की उम्र गोद जाने योग्य बालक की नहीं थी और वह विधिक दृष्टि से गोद नहीं जा सकता था। वादिनी द्वारा यह भी साबित नहीं किया गया है

कि उनके समाज/ परिवार में 15 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को गोद लेने की रूढि रही हो। **पारस दीवान द्वारा लिखित ''आधुनिक हिन्दु विधि की रुपरेखा'' के 11वें संस्करण** में गोद लिये जाने वाले बालक की जो पात्रतायें बताई गयी हैं, उनमें नेमीचन्द शान्ति लाल पाटनी बनाम बसन्ताबाई के प्रकरण में माननीय बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–01–1994 {AIR 1994 235 = (1994) 96 BOMLR 737} से समर्थन लेते हुये यह व्यवस्था दी गयी है कि ''**पुरानी हिन्दु विधि में बम्बई शाखा और जैनियों को छोड़कर विवाहित बालक का दत्तक अवैध था। वही स्थिति अब भी है। हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम के अन्तर्गत विवाहित अपत्य का गोद विधि मान्य नहीं है, परन्तु यदि पक्षकारों पर लागू होने वाली किसी रूढि द्वारा वैसा दत्तक मान्य है तो वह अब भी मान्य होगा।**'' हस्तगत प्रकरण में रामकिशोर जब कथित रुप से 1950 में मृतक भौंरीलाल के दत्तक आया उस समय उसके 1945 में जन्मा पुत्र जगदीश मौजूद था, अर्थात गोद आने वाला रामकिशोर विवाहित था। अतः उक्त गोद विधिमान्य नहीं था, जब तक कि वादिनी द्वारा यह साबित नहीं कर दिया जाता कि उनके समाज में प्रचलित रूढि अनुसार विवाहित अपत्य का दत्तक लिया जाना प्रचलित था। वादिनी द्वारा अपने वादपत्र में ऐसा कोई अभिवचन नहीं किया गया है, जो निश्चित रुप से इस बात का प्रमाण है कि वादिनी के समाज–परिवार में ऐसी कोई रुढि प्रचालित नहीं थी।

13– अगर रामकिशोर 1950 के आसपास भी भौंरीलाल के गोद गया होता तो ऐसे गोद की मान्यता हेतु भौंतिक रुप से लेने व देने का उत्सव आवश्यक था। हमारा यह मत लक्ष्मणसिंह कोठारी बनाम श्रीमती रुपकंवर व अन्य के प्रकरण {AIR 1961 SC 1378 = 1962 SCR (1) 477} में दिनांक 22–03–1961 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से समर्थित है जिसमें गोद की घटना सन् 1923 की बतायी गयी थी। उक्त निर्णय दिनांक 22–03–1961 में यह प्रतिपादित किया गया है किः–

> *"The law may be briefly stated thus: Under the Hindu Law, whether among the regenerate caste or among Sudras, there cannot be a valid adoption unless the adoptive boy is transferred from one family to another and that can be done only by the ceremony of giving and taking. The object of the corporeal giving and receiving in adoption is obviously to secure due publicity. To achieve this object it is essential to have a formal ceremony. No particular form is prescribed for the ceremony, but the law requires that the natural parent shall band over the adoptive boy and the adoptive parent shall*

receive him. The nature of the ceremony may vary depending upon the circumstances of each case. But a ceremony there shall be, and giving and taking shall be part of it. The exigencies of the situation arising out of diverse circumstances necessitated the introduction of the doctrine of delegation; and, therefore, the parents, after exercising their volition to give and take the boy in adoption, may both or either of them delegate the physical act of handing over the boy or receiving him,. as the case may be, to a third party."

किन्तु हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी/वादिनी द्वारा ऐसे किसी लेन देन उत्सव (giving and taking ceremony) को साबित नहीं किया गया है। अतः यह मानने का कोई स्वीकार्य आधार नहीं है कि वादिनी राधा का पति रामकिशोर मुतक खातेदार भौंरीलाल का दत्तक पुत्र था।

14— वादिनी के पति रामकिशोर का पुत्र जगदीश पीडब्लू–2 द्वारा बयान दिनांक 7–11–2000 को दर्ज कराया है और उस समय उसकी उम्र 55 वर्ष थी। इसका अर्थ है कि जगदीश का जन्म सन् 1945 के आस पास हो गया था। अनुत्तरित प्रश्न यह है कि 1977 में बनाये गये उक्त राशन कार्ड में 32 वर्ष की उम्र में भी जगदीश का नाम अपने दत्तक दादा भौंरीलाल एवं दूसरी मां राधा के साथ अंकित क्यों नहीं था?

15— प्रदर्श 11, 12 निर्वाचन नामावली और प्रदर्श–6 हाउस डायरी में भी भौंरीलाल के परिवार में उक्त जगदीश का नाम अंकित नहीं है जबकि वादिनी राधा के दावे (claim) अनुसार उसका पति रामकिशोर भौंरीलाल का दत्तक पुत्र था तो जगदीश भी भौंरीलाल का दत्तक पौता था। दत्तक दादा के परिवार के साथ जगदीश का नाम नहीं होना वादिनी के इस दावे को गलत सिद्ध करता है कि उसका पति व जगदीश का पिता रामकिशोर भौंरीलाल का दत्तक पुत्र था। जहां तक भौंरीलाल का कर्ज चुकाने का प्रश्न है, कथित रसीदात प्रदर्श 13, 14, 15, 16, 17 व 19 के आधार पर वादिनी का कथन है कि भौंरीलाल की पुत्रवधु होने के कारण उसने भौंरीलाल का कर्जा चुकाया है। यह सभी रसीदात कोई सार्वजनिक दस्तावेजात (public documents) नहीं होकर निजी रसीदात हैं और ऐसे निजी दस्तावेजात की साक्ष्य में विश्वसनीयता स्थापित करने के लिये जरुरी है कि उक्त रसीदात जारी करने वाले व्यक्तियों को बतौर साक्षी न्यायालय के समक्ष परीक्षित किया जाता। किन्तु ऐसा नहीं किया गया। जिससे इनकी

सत्यता संदिग्ध है। संदिग्धता इस बात से और बढ जाती है कि प्रदर्श–13, जो कि रुपये 5/– के स्टाम्प पेपर पर है, के अनुसार दिनांक 25–08–1983 को रामलाल महाजन द्वारा रु.1100/– रोकड़ी प्राप्त करना लिखा गया है जो काली स्याही से लिखित है। बाद में नीली स्याही से व अलग हस्तलिपि से यह लिखा है कि यह रुपया राधा ने दिया है। अलग अलग स्याही व लिखावट से प्रथम दृष्टया ही यह संदेह उत्पन्न होता है कि उक्त प्रदर्श–13 में बाद में यह इबारत जोड़ी गयी है कि रुपया राधा ने लाकर दिया। अतः ऐसे संदिग्ध दस्तावेज को तब तक न्यायिक निर्णय का आधार नहीं बनाया जा सकता है जब तक कि उक्त दस्तावेज लिखने वाले व्यक्ति को बतौर साक्षी सशपथ परीक्षित करके दस्तावेज की सदभाविकता व सत्यता साबित नहीं हो जावें। प्रदर्श 14 व अन्य दस्तावेजात/ कर्जा चुकाने की रसीदात की भी यही स्थिति है। साथ ही एक अनुत्तरित प्रश्न पुनः सन्देह पैदा करता है कि भौंरीलाल के दत्तक पुत्र रामकिशोर के जायन्दा पुत्र जगदीश जिसका जन्म 1945 में होकर उक्त कर्जा चुकाने के वर्ष 1983 के लगभग उसकी उम्र 38 साल के लगभग थी तो अपने दत्तक दादा का कर्जा चुकाने का व लेन देन करने का काम उक्त जगदीश क्यों नहीं करता था और विधवा राधा को अपने ससुर का कर्जा चुकाने का व लेन देन का काम क्यो करना पड़ रहा था?

16– एक अन्य व्यक्ति काल्या पुत्र चन्द्रा की मृत्यु होने पर नामान्तरकरण संख्या 4 ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तरकरण से पूर्व खाते की स्थिति काल्या पुत्र चन्द्रा हिस्सा 1/2 एवं जगदीश पुत्र रामकिशोर हिस्सा 1/2 थी। काल्या के निधन पर उसका 1/2 हिस्सा भी जगदीश पुत्र रामकिशोर के नाम दर्ज किया गया है। काल्या पुत्र चन्द्रा की मृत्यु के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा काल्या का उत्तराधिकारी जगदीश पुत्र रामकिशोर ब्राह्मण को मानते हुये उक्त नामान्तरकरण खोला गया है। उक्त नामान्तरकरण पर सजरा भी अंकित है, जिसके अनुसार चन्द्रा का पुत्र काल्या लाऔलाद फौत होना तथा पांच्या का पुत्र रामकिशोर, और रामकिशोर का पुत्र जगदीश होना जाहिर है। इसका मिलान करके 02–03–1969 को भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा अंकन ठीक पाया गया है एवं उसके बाद दिनांक 11–03–1969 को ग्राम पंचायत बोर्ड द्वारा आदेश पारित किया गया है किः– ''आज यह नामान्तरकरण बोर्ड़ के समक्ष पेश हुआ। काल्या पुत्र चन्द्रा ब्राह्मण साकिन लालपुरा फौत हो गयो, इसका वारिस जगदीश पुत्र रामकिशोर ब्राह्मण साकिन लालपुरा है।'' इस प्रकार एक अन्य खातेदार पांच्या की मुत्यु होने पर उक्त पांच्या के

खाते की भूमि ''जगदीश पुत्र रामकिशोर'' के नाम दर्ज होना और इसी प्रकार पांच्या के चचेरे भाई काल्या की मृत्यु होने पर उक्त काल्या की खाते की भूमि भी ''जगदीश पुत्र रामकिशोर'' के नाम दर्ज होना भी इस बात का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि रामकिशोर उक्त पांच्या के गोद चला गया था। अतः रामकिशोर का भौंरीलाल के गोद जाना सही तथ्य नहीं है।

17— रामकिशोर के पुत्र जगदीश ने अपने बयान पीडब्लू–2 में बताया है किः— **''मेरे बाबा पांच्या है। मैं पांच्या के घर पला हूॅं। पांच्या ने मेरे जायदाद लगायी है। मैंने पांच्या की सेवा की है, नुक्ता किया है। पांच्या के कोई औलाद नहीं थीं ..... बंशी के मरने के बाद पगड़ी मेरे काका मूलचन्द के बंधी थी।''** इस प्रकार जाहिर है कि रामकिशोर पांच्या के गोद गया था, किन्तु रामकिशोर का निधन जल्दी हो गया था जिससे उसकी विरासत जगदीश के नाम लगी थी। जगदीश पांच्या के परिवार का ही अभिन्न अंग बन चुका था, इसलिये पांच्या के चचेरे भाई एवं सहखातेदार काल्या पुत्र चन्द्रा के लाऔलाद फौत होने पर काल्या की भी विरासत जगदीश को ही प्राप्त हुई थी। रामकिशोर पांच्या के परिवार का अंग बन चुका था। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का तर्क है कि पांच्या के गोद रामकिशोर नहीं अपितु, उसका पुत्र जगदीश गया था। किन्तु यह तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अगर पांच्या के गोद जगदीश जाता तो पांच्या की खाते की भूमि ''जगदीश पुत्र रामकिशोर'' के नाम से नहीं अपितु ''जगदीश पुत्र पांच्या'' के नाम से दर्ज होनी चाहिये थी।

18— भौंरीलाल की बहिन रामप्यारी ने अपने बयान दिनांक 17—07—2001 में कहा है कि भौंरीलाल ने किसी को भी गोद नहीं लिया गया था। रामप्यारी यह भी बयान करती है कि **''रामकिशोर पांचू के गोद चला गया। गोद जाने के बाद रामकिशोर पांचू के पास रहता है। पांचू ने ही उसकी शादी की है''** इस प्रकार जगदीश व रामप्यारी— दोनों के बयानों से यह साबित हो रहा है कि रामकिशोर पांच्या के गोद चला गया था।

19— उपरोक्तानुसार तथ्यात्मक व विधिक बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि अपीलार्थी/ वादिनी अपने पति रामकिशोर को मृतक खातेदार भौंरीलाल का दत्तक पुत्र साबित नहीं कर पायी है जिससे उसका घोषणात्मक व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद खारिज ही होना था। अतः

हमारे मत अनुसार प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 26–06–2005 को निरस्त करने में कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–01–2009 में हस्तक्षेप का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। सारांशतः हस्तगत द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

20– परिणामतः हस्तगत द्वितीय अपील को एतदद्वारा खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मूलचन्द मीणा)
सदस्य

(चन्द्रमोहन मीना)
अध्यक्ष